

भीम

राजस्थान सरकार

कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

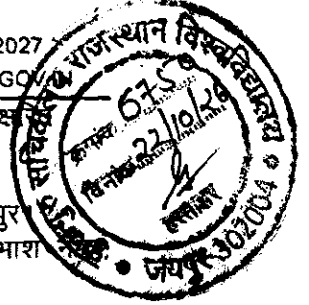
ग्राम- मूण्डला, पो.- रूपवास, तहसील- जमवारामगढ़, जिला- जयपुर, राजस्थान- 302027

Email ID:- secretaryapi@gmail.com

Govt. Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV

क्रमांक: एफ3(2)अपीज / FELLO. ADV. / 2026-27 / 433

दिनांक: यथा ई-हस्ताक्षर



01. श्रीमान कुलगुरु महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
02. श्रीमान कुलगुरु महोदय, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जेएलएन मार्ग, जयपुर।
03. श्रीमान कुलगुरु महोदय, गोविन्द गुरु, आदीवासी विश्वविद्यालय, कलेक्ट्रेट चौराहा, सुभाष बांसवाडा।
04. श्रीमान कुलगुरु महोदय, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर।
05. श्रीमान कुलगुरु महोदय, बी.एम.बी. विश्वविद्यालय, रातानाडा रोड, जोधपुर।
06. श्रीमान कुलगुरु महोदय, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, एन.एच.15, जैसलमेर रोड, बीकानेर।
07. श्रीमान कुलगुरु महोदय, महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, चक सकितरा, कुम्हेर, भरतपुर।
08. श्रीमान कुलगुरु महोदय, महर्षि दयानंद सरस्वति विश्वविद्यालय, पुष्कर बाईपास, अजमेर।
09. श्रीमान कुलगुरु महोदय, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
10. श्रीमान कुलगुरु महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, एनएच-65, नागौर रोड, मण्डोर, जोधपुर।
11. श्रीमान कुलगुरु महोदय, पं.दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, नवलगढ रोड, कटराथल, सीकर।
12. श्रीमान कुलगुरु महोदय, राज ऋषि मतस्य विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय केम्पस, अलवर।
13. श्रीमान कुलगुरु महोदय, कोटा विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानन्द नगर, कोटा।
14. श्रीमान कुलगुरु महोदय, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, रावतभाटा रोड, कोटा।
15. श्रीमान कुलगुरु महोदय, विश्वकर्मा स्कील विश्वविद्यालय, जयपुर।

विषय:- वर्ष- 2026 हेतु अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना एवं अम्बेडकर फैलोशिप योजना के विज्ञापन को विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अम्बेडकर पीठ, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मूण्डला जयपुर द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान पी.एचडी शोधार्थियों हेतु 2 योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

	अम्बेडकर फैलोशिप योजना 2026-27	अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना 2026-27
पात्रता	01. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हो। 02. परिवार के समस्त स्रोतों से आय 2.5 लाख से अधिक न हो। 03. स्नातकोत्तर (Post graduate) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। 04. विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पी. एचडी पाठ्यक्रम में छः विषयों	01. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति का सदस्य हो। 02. परिवार के समस्त स्रोतों से आय 6.00 लाख से अधिक न हो। 03. स्नातकोत्तर (Post graduate) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण हो। 04. भारत के बाहर विदेशी विश्वविद्यालय (संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यापित)

Signature valid

1. The file shall be signed by the Secretary, Department of Social Justice and Empowerment, Government of Rajasthan, Jaipur.

RajKaj Ref No.:
25130525

M e-Sign



Digitally signed by Shivram
Designation: Secretary
Date: 2026.10.24 11:07:09 IST
Reason: Approved

	(राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, मानव शास्त्र) में प्रवेशित हो। 05. आवेदक की आयु विज्ञापन जारी करने की तिथि को 35 वर्ष से अधिक न हो।	संस्था) में पी.एचडी पाठ्यक्रम में छः विषयों (राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, मानव शास्त्र) में प्रवेशित हो। 05. आवेदक की आयु विज्ञापन जारी करने की तिथि को 35 वर्ष से अधिक न हो।
परिवार में पात्र	एक परिवार (माता-पिता/संरक्षक) के अधिकतम 2 संतान योजना में आवेदन कर सकते हैं।	-
फेलोशिप/ छात्रवृत्ति राशि	(कुल- 5.40 लाख) 15000/- प्रति माह (अधिकतम तीन वर्ष या पी.एचडी पाठ्यक्रम समाप्ति जो भी पहले हो)	(कुल- 25.00 लाख रुपये) प्रथम वर्ष- 10.00 लाख रुपये। द्वितीय वर्ष- 10.00 लाख रुपये। तृतीय वर्ष- 5.00 लाख रुपये।
कुल लाभार्थी	6 शोधार्थी प्रति वर्ष	5 शोधार्थी प्रति वर्ष
आवेदन की तिथि	प्रारम्भ: 15.10.2026 से अंतिम तिथि: 14.11.2026 तक	प्रारम्भ: 15.10.2026 से अंतिम तिथि: 14.11.2026 तक
आवेदन पत्र/ विस्तृत जानकारी	विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की निम्न वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। www.ambedkarfoundationjaipur.in	विस्तृत जानकारी एवं आवेदन पत्र विभाग की निम्न वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। www.ambedkarfoundationjaipur.in
ई-मेल	ambedkarfoundation@rajasthan.gov.in secretaryapi@gmail.com	ambedkarfoundation@rajasthan.gov.in secretaryapi@gmail.com
सम्पर्क सूत्र	सुश्री संतरा मीणा (वरि. सहायक) मो. 8209418596	सुश्री संतरा मीणा (वरि. सहायक) मो. 8209418596

उक्त दोनों योजनाओं में वर्ष 2026 में आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए एक माह की अवधि (दिनांक 15.10.2026 से 14.11.2026 तक) के लिए विज्ञापन जारी किया गया है।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त दोनों योजनाओं के विज्ञापन को आपके विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करावे जिससे ज्यादा से ज्यादा शोधार्थी उक्त दोनों योजनाओं का लाभ ले सकें।

सादर।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

सचिव

डॉ. बी. आर अम्बेडकर फाउण्डेशन
(अम्बेडकर पीठ), मूण्डला, जयपुर

Signature valid

Digitally signed by Shyamram
Designation: Secretary
Date: 2026.10.21 19:07:09 IST
Reason: Approved

1. This office has been created on 2025-26. Ambedkar Foundation Jaipur is a non-profit organization. 2025-26. RajKaj Ref No.: 25130525

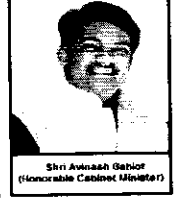
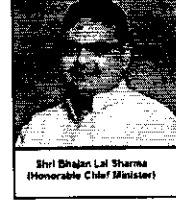
RajKaj Ref No.:
25130525

M e-Sign



राज्य सरकार की अभिनव पहल

अम्बेडकर फैलोशिप योजना वर्ष 2026-27



अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को
पी-एच.डी. स्तर पर राज्य में अनुसन्धान के लिए 5.40 लाख रुपये तक की सहायता

योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, योजना के लाभ लेने हेतु योग्यता एवं प्रक्रिया

(1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता:-

- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
- समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं मानव शास्त्र में 55 प्रतिशत प्राप्तांकों के साथ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
- विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित निम्नांकित विषयों के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:-
(a) समाजशास्त्र (b) लोक प्रशासन (c) विधि (d) अर्थ शास्त्र (e) राजनीति शास्त्र (f) मानव शास्त्र
- चयन प्रक्रिया में केन्द्रीय या राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेशित शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।
- अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।
- अभ्यर्थी राजस्थान की अनुसूचित जाति वर्ग का मूल निवासी हो।

(2) आय सीमा:- अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय 2.50 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।

(3) आवेदन की प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत संबंधित आवेदन की निम्नानुसार आवेदन करना होगा:-

- अम्बेडकर फैलोशिप हेतु आवेदन दिनांक 15.10.2026 से 14.11.2026 तक आवेदन करना होगा।
- विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से फैलोशिप प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।
- आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, मूल निवास, जाति एवं पी-एच.डी. हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के शोध विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, शोध शीर्षक एवं रूपरेखा आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
- आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
- फैलोशिप हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को ई-मेल/डाक द्वारा भिजवाना होगा। (ई-मेल आई.डी. secretaryapi@gmail.com, Govt.Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN)

(4) चयन प्रक्रिया:- आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से फैलोशिप योजनान्तर्गत अधिकतम 06 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन छानबीन समिति एवं राज्य अनुमोदन समिति द्वारा किया जायेगा।

(5) योजना की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट www.ambedkarfoundationjaipur.in पर देखी जा सकती है।

योजनान्तर्गत फैलोशिप के रूप में अधिकतम देय राशि - 15,000 रुपये (3 वर्षों के लिए) प्रतिवर्ष 6 विद्यार्थियों का चयन



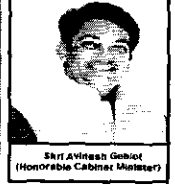
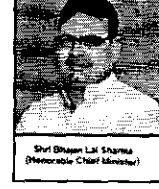
डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम- मूण्डला, पोस्ट- रूपवास, तहसील- जमवारामगढ़, जिला- जयपुर, राजस्थान-302027



राज्य सरकार की अभिनव पहल

अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2026-27



अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को
पी-एच.डी. स्तर पर विदेश में अनुसन्धान के लिए 25.00 लाख रुपये तक की सहायता

योजना से सम्बन्धित दिशा-निर्देश, योजना के लाभ लेने हेतु योग्यता एवं प्रक्रियां

(1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता:-

- I. आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, विधि, अर्थ शास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं मानव शास्त्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हो।
 - II. भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय (संबन्धित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन (Accreditation) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान) से निम्नांकित विषयों के पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:-
- (2) आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।
 - (3) आय सीमा:- अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय 6.00 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
 - (4) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।
 - (5) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का मूल निवासी हो।
 - (6) वित्तीय सहायता:- अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर पी-एच.डी. में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25.00 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी:-
- (i) प्रथम वर्ष - 10.00 लाख रुपये
 - (ii) द्वितीय वर्ष - 10.00 लाख रुपये
 - (iii) तृतीय वर्ष - 5.00 लाख रुपये
- (7) आवेदन की प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत संबंधित आवेदन को निम्नानुसार आवेदन करना होगा:-
 - (अ) अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति हेतु आवेदन दिनांक 15.10.2026 से 14.11.2026 तक आवेदन करना होगा।
 - (ब) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं पी-एच.डी. हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के शोध विभाग द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र, शोध शीर्षक एवं रूपरेखा आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
 - (स) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।
 - (द) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को ई-मेल/डाक द्वारा भिजवाना होगा।
(ई-मेल आई.डी. secretaryapj@gmail.com, Govt.Mail Id.: ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN)
 - (य) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।
 - (8) चयन प्रक्रिया:- आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अधिकतम 05 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन छानबीन समिति एवं राज्य अनुमोदन समिति द्वारा किया जायेगा।
 - (9) योजना की जानकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाईट www.ambedkarfoundationjaipur.in पर देखी जा सकती है।

योजनान्तर्गत अधिकतम देय राशि - 25,00,000 रुपये (3 वर्षों के लिए) प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों का चयन



डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम- मूण्डला, पोस्ट- रुपवास, तहसील- जमवारामगढ़, जिला- जयपुर, राजस्थान-302027

Dr. B.R. Ambedkar Foundation
(Social Justice and Empowerment Deptt. Govt. of Raj.)
Vill. Mundala, Teh. Jamwaramgarh, Jaipur



DETAILED APPLICATION FORM FOR
DR. B.R. AMBEDKAR FELLOWSHIP FOR SC CANDIDATE
(2026-2027)

Passport
Size
Photo

1	Candidate's Status		
1.1	Candidate's Home State		
1.2	Select the Caste Category		
1.3	Are you Physically Handicapped?		
2	Personal Information		
2.1	Candidate's Name		
2.2	Gender		
2.3	Date of Birth		
2.4	Nationality		
2.5	Father's Name		
2.6	Mother's Name		
3	Contact Information		
3.1	Present Address		
3.2	City/Town		
3.3	Pin Code		
3.4	State		
3.5	E-Mail address		
3.6	Contact Number		
4	Post-Graduate Qualifications		
4.1	Examination Name		
4.2	Year of Passing		
4.3	College/university		
4.4	Subject Taken		

	4.5	Division	
	4.6	Percentage	
5	Institute Details		
	5.1	Research Topic Status	
	5.2	Research Work Leading to Award of a Degree	
	5.3	Select Institute	
	5.4	Department/School	
6	Research Topic (Provide details of research topics proposed to be taken)		
	6.1	Stream	
	6.2	Subject of Research	
	6.3	Title on research	
	6.4	Abstract (Attached details in separate paper)	
7	Supervisor Details		
	7.1	Supervisor's Name	
	7.2	Supervisor's Designation	
	7.3	Supervisor's Department	
	7.4	Supervisor's E-Mail	
8	Scholarship Details		
	8.1	Are you availing any scholarship/Fellowship at Present?	
	8.2	Source of Scholarship/Fellowship	
	8.3	Topic of the Research	
	8.4	Whether the work has been completed/on going	
	8.5	Date of commencement and completion of Scholarship	
9	Employment Details (“Yes” if you are employed, “No” if you are not)		
10	Any other information relevant to the research work, which you may like to give in support of your application		

(Signature of Applicant)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फ़ाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांक: एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डली/2017/ 7426

दिनांक 28/3/17

अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अम्बेडकर फ़ेलोशिप योजना

1. प्रस्तावना:— माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को Ph.D स्तर पर अध्ययन हेतु अनुसन्धान के लिए आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से "अम्बेडकर फ़ेलोशिप योजना" प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 6 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। यह फ़ेलोशिप (i) समाजशास्त्र (ii) लोक प्रशासन (iii) विधि (iv) अर्थशास्त्र (v) राजनीति शास्त्र एवं (vi) मानवशास्त्र विषय में प्रदान की जाएगी।

2. उक्त घोषणा की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:—

(1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता

(i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।

(ii) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हों।

(iii) विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित निम्नांकित विषयों के Ph.D पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:—

(a) समाजशास्त्र

(b) लोक प्रशासन

(c) विधि

(d) अर्थशास्त्र

(e) राजनीति शास्त्र

(f) मानव शास्त्र

(iv) चयन प्रक्रिया में केन्द्रीय या राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में प्रवेशित शोधार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(v) अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।

(vi) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।

(2) आय सीमा :— अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय 2.50 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।

(3) आवेदन हेतु एक परिवार में अधिकतम संख्या:— एक परिवार (माता-पिता/संरक्षक) के अधिकतम दो बच्चे योजनान्तर्गत आवेदन कर सकते हैं।



(4) आवेदन की प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत संबंधित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगा:-

(अ) राज्य सरकार द्वारा फैलोशिप हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

(ब) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से फैलोशिप प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(स) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं Ph.D हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम/विषय आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

(द) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।

(य) फैलोशिप हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को भिजवाना होगा (ई-मेल आई. डी. secretaryapj@gmail.com)।

(5) आवेदन पत्र छानबीन (scrutiny) समिति:- योजनान्तर्गत फैलोशिप हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (scrutiny) हेतु निम्नानुसार कमेटी होगी:-

- | | |
|---|--------------|
| (1) अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), SJED | - अध्यक्ष |
| (2) सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जयपुर | - सदस्य |
| (3) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य |
| (4) उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| (5) उप निदेशक (राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य सचिव |
| (6) सहायक निदेशक (शिक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य |

उक्त कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की दिशा निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, छानबीन कर पूर्ण (Complete) आवेदन पत्रों का विवरण आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेगी।

(6) राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति:- आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से फैलोशिप योजनान्तर्गत अधिकतम 6 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन होगा :-

- | | |
|--|--------------|
| (1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर | - अध्यक्ष |
| (2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| (3) महानिदेशक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर | - सदस्य |
| (4) विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| (5) निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य सचिव |
| (6) कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रोफेसर (जो कि योजना में वर्णित छः (6) विषयों में से किसी एक से संबंधित हो) | - सदस्य |

(7) योजनान्तर्गत फैलोशिप के रूप में देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया :-

(अ) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्षों के लिए फैलोशिप प्रदान की जावेगी, जिसके तहत प्रतिमाह 15000 रुपये की राशि देय होगी।

(ब) चयनित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थान जिसमें वह Ph.D कर रहा हो, के संस्था प्रधान से प्रवेश के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(स) Ph.D हेतु चयनित अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा निर्धारित उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(य) फैलोशिप हेतु निर्धारित राशि की स्वीकृति निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की जाएगी। आहरित राशि का भुगतान बैंक द्वारा अथवा डीडी के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर Ph.D पाठ्यक्रम में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी।

(र) फैलोशिप के रूप में प्राप्त राशि का यदि विद्यार्थी द्वारा दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी से भुगतान की गई राशि मय 10% ब्याज सहित वसूलनीय होगी। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

(ल) योजनान्तर्गत 1 वर्ष उपरान्त राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।



(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मुण्डला/2017/7426-44 दिनांक 28(3)17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सचिव राईस, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुस्था, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
15. उप निदेशक राईस।
16. सहायक निदेशक (प्रचार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को संबंधित को अविलम्ब ई-मेल कराने हेतु।



निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

Dr. B.R. Ambedkar Foundation
(Social Justice and Empowerment Deptt. Govt. of Raj.)
Vill. Mundala, Teh. Jamwaramgarh, Jaipur



DETAILED APPLICATION FORM FOR
DR. B.R. AMBEDKAR INTERNATIONAL SCHOLARSHIP
FOR SC CANDIDATE
(2026-2027)

Passport
Size
Photo

1	Candidate's Status		
	1.1	Candidate's Home State	
	1.2	Select the Caste Category	
	1.3	Are you Physically Handicapped?	
2	Personal Information		
	2.1	Candidate's Name	
	2.2	Gender	
	2.3	Date of Birth	
	2.4	Nationality	
	2.5	Father's Name	
	2.6	Mother's Name	
3	Contact Information		
	3.1	Present Address	
	3.2	City/Town	
	3.3	Pin Code	
	3.4	State	
	3.5	E-Mail address	
	3.6	Contact Number	
4	Post-Graduate Qualifications		
	4.1	Examination Name	
	4.2	Year of Passing	
	4.3	College/university	
	4.4	Subject Taken	
	4.5	Division	

	4.6	Percentage	
5	Institute Details		
	5.1	Research Topic Status	
	5.2	Research Work Leading to Award of a Degree	
	5.3	Select Institute	
	5.4	Department/School	
6	Research Topic (Provide details of research topics proposed to be taken)		
	6.1	Stream	
	6.2	Subject of Research	
	6.3	Title on research	
	6.4	Abstract (Attached details in separate paper)	
7	Supervisor Details		
	7.1	Supervisor's Name	
	7.2	Supervisor's Designation	
	7.3	Supervisor's Department	
	7.4	Supervisor's E-Mail	
8	Scholarship Details		
	8.1	Are you availing any scholarship/Fellowship at Present?	
	8.2	Source of Scholarship/Fellowship	
	8.3	Topic of the Research	
	8.4	Whether the work has been completed/on going	
	8.5	Date of commencement and completion of Scholarship	
9	Employment Details (“Yes” if you are employed, “No” if you are not)		
10	Any other information relevant to the research work, which you may like to give in support of your application		

(Signature of Applicant)

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
राजस्थान रेजीडेन्सियल ऐज्युकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स सोसायटी (राईस)
कमरा संख्या 411, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर। 0141-2220278

क्रमांक: एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मूण्डला/2017/ 7405

दिनांक 28/3/17

अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए शोध हेतु अम्बेडकर अन्तराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना

1. प्रस्तावना:- माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की 125 वीं जयन्ती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के दौरान प्रतिभावान अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों/शैक्षणिक संस्थानों से पी.एच.डी. स्तर पर अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से अम्बेडकर अन्तराष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किये जाने की घोषणा की गई है, जिसमें प्रथम चरण में मानविकी एवं समाजविज्ञान के क्षेत्र में 5 शोधकर्ताओं को प्रति छात्र रुपये 25.00 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी।
2. उक्त घोषणा की क्रियान्विति के परिप्रेक्ष्य में, निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं:-
 - (1) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु न्यूनतम योग्यता एवं पात्रता।
 - (i) आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो।
 - (ii) विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55 प्रतिशत प्राप्तांक अर्जित किए गए हों।
 - (iii) भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय (संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्यायन (Accreditation) विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान) से निम्नांकित विषयों के पी.एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेशित हो:-
 - (a) समाजशास्त्र
 - (b) लोक प्रशासन
 - (c) विधि
 - (d) अर्थशास्त्र
 - (e) राजनीति शास्त्र
 - (f) मानव शास्त्र
 - (2) आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु योजनान्तर्गत जारी विज्ञापन की तिथि को 35 वर्ष से कम हो।
 - (3) आय सीमा:- अभ्यर्थी के सम्पूर्ण परिवार की समस्त स्रोतों से अर्जित आय 6.00 लाख रुपये वार्षिक से अधिक न हो।
 - (4) विद्यार्थी उक्त योजना के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग/संस्थान से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।
 - (5) अभ्यर्थी राजस्थान राज्य की अनुसूचित जाति वर्ग का हो।
 - (6) वित्तीय सहायता:- अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर पी.एच.डी. में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम 25.00 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाई जायेगी। उक्त छात्रवृत्ति निम्नानुसार स्वीकृत की जाएगी:-
 - (i) प्रथम वर्ष - 10.00 लाख
 - (ii) द्वितीय वर्ष - 10.00 लाख
 - (iii) तृतीय वर्ष - 5.00 लाख



(7) आवेदन की प्रक्रिया:- योजनान्तर्गत संबंधित आवेदक को निम्नानुसार आवेदन करना होगा:-

(अ) राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति हेतु जारी विज्ञापन की दिनांक से 1 माह की अवधि में आवेदन करना होगा।

(ब) आवेदन पत्र के साथ आयु, वार्षिक आय, जाति एवं पी.एच.डी. हेतु प्रस्तावित पाठ्यक्रम / विषय आदि दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

(स) आय प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना होगा।

(द) छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जमवारामगढ़, जयपुर को भिजवाना होगा (ई-मेल आई. डी. secretaryapj@gmail.com)।

(य) विद्यार्थी द्वारा किये गये शोध कार्य को प्रति वर्ष की प्रगति रिपोर्ट विभाग को प्रस्तुत की जायेगी एवं शोध कार्य पूर्ण होने पर प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(8) आवेदन पत्र छानबीन (scrutiny) समिति:- योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की छानबीन (scrutiny) हेतु निम्नानुसार कमेटी होगी:-

- | | |
|---|--------------|
| (1) अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), JED | - अध्यक्ष |
| (2) सचिव, अम्बेडकर पीठ, मूण्डला, जयपुर | - सदस्य |
| (3) अतिरिक्त निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य |
| (4) उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| (5) उप निदेशक (राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य सचिव |
| (6) सहायक निदेशक (शिक्षा) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग | - सदस्य |

उक्त कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों की दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में, छानबीन कर पूर्ण (Complete) आवेदन पत्रों का विवरण आयुक्त/निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रस्तुत करेगी।

(9) राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति:- आवेदकों से प्राप्त पूर्ण आवेदन पत्रों में से छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अधिकतम 5 आवेदकों का चयन एवं अनुमोदन हेतु निम्नानुसार राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति का गठन होगा :-

- | | |
|--|--------------|
| (1) अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर | - अध्यक्ष |
| (2) अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| (3) महानिदेशक, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन, मूण्डला, जयपुर | - सदस्य |
| (4) विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य |
| (5) निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर | - सदस्य सचिव |
| (6) कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रोफेसर (जो कि योजना में वर्णित पाठ्यक्रम मानविकी अथवा समाज विज्ञान का विशेषज्ञ हो) | - सदस्य |

(10) योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति के रूप में देय राशि के भुगतान की प्रक्रिया :-

(अ) योजनान्तर्गत चयनित अभ्यर्थियों को अधिकतम 3 वर्षों के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जावेगी।

(ब) चयनित अभ्यर्थी को संबंधित विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थान जिससे विद्यार्थी पी.एच.डी. कर रहा हो, के संस्था प्रधान से प्रवेश के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(स) पी.एच.डी. हेतु चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विश्वविद्यालय/शैक्षणिक संस्थान द्वारा निर्धारित उपस्थिति के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(द) छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित राशि की स्वीकृति निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर के द्वारा जारी की जाएगी। आहरित राशि बैंक द्वारा अथवा डीडी के माध्यम से संबंधित विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जावेगी। निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा समय-समय पर Ph.D पाठ्यक्रम में अध्ययनरत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक स्थिति की जानकारी संबंधित विश्वविद्यालय अथवा संस्थाओं से प्राप्त की जाएगी।

(य) छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त राशि का यदि विद्यार्थी द्वारा दुरुपयोग किए जाने की स्थिति में संबंधित विद्यार्थी से भुगतान की गई राशि मय 10% ब्याज सहित वसूलनीय होगी। विद्यार्थी को इस आशय की वचनबद्धता 100/- रुपये नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।
(र) योजनान्तर्गत 1 वर्ष उपरान्त राज्य स्तरीय अनुमोदन समिति द्वारा योजना की समीक्षा की जावेगी।

(रवि जैन)

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ1(A)(6)अम्बे.पीठ/राईस/मुण्डला/2017/ 7406-24 दिनांक 28/3/17

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. महानिदेशक, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं सचिव राईस, राजस्थान, जयपुर।
9. निजी सहायक, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (अनु. जाति एवं जनजाति कल्याण), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. वित्तीय सलाहकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. अतिरिक्त निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. सचिव, डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ) मुण्डला, जयपुर।
15. उप निदेशक राईस।
16. सहायक निदेशक (प्रचार), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
17. सहायक निदेशक (शिक्षा), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, मुख्यावास।
18. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यावास को संबंधित को अविलम्ब ई-मेल कराने हेतु।

निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

राजस्थान सरकार
कार्यालय डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन, (अम्बेडकर पीठ)
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

ग्राम—मूण्डला, पो.—रूपवास, तहसील—जमवारामगढ़, जिला—जयपुर, राजस्थान— 302027
Email ID:- secretaryapj@gmail.com Govt. Mail Id:- ambedkarfoundation@RAJASTHAN.GOV.IN

विज्ञापन सूचना

निम्न योजनाओं हेतु वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन पत्र दिनांक 15.10.2026 से 14.11.2026 तक ई-मेल / डाक द्वारा आमंत्रित किये जाते हैं, जिनके विस्तृत दिशा-निर्देश, योग्यता एवं चयन प्रक्रिया अम्बेडकर पीठ की वेबसाइट www.ambedkarfoundationjaipur.in पर देखी जा सकती है।

1. **अम्बेडकर फैलोशिप योजना:**— राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विधि द्वारा स्थापित राज्य में स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित Ph-D पाठ्यक्रम में अपने स्तर पर प्रवेश लेने पर उक्त योजना अन्तर्गत अधिकतम तीन वर्ष के लिए 5.40 लाख रुपये तक की सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।
2. **अम्बेडकर अन्तर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना:**— राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों / शिक्षण संस्थानों में अपने स्तर पर पी-एच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम तीन वर्ष के लिए 25.00 लाख रुपये की सहायता उपलब्ध करवाये जाने का प्रावधान है।

सचिव

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ),
मूण्डला, (जयपुर)

राज.संवाद/सी/26/11338

Size 8wx7h